इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 जून 2021—ज्येष्ठ 20, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2021

क्र. एफ-ए-3-85-2017-1-पांच (24).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-85-2017-1-पांच, दिनांक 8 फरवरी 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के सातवें परंतुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो निम्न तालिका के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किए गए हैं, और जो **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** विवरणी को नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, निम्न तालिका के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देयविलंब फीस को निम्न तालिका के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा के लिए अधित्यक्त किया जाता है, अर्थात्:—

तालिका

क्र. सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	सीमा जिसके लिए विलंब फीस को अधित्यक्त किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो.	मार्च 2021 और अप्रैल 2021.	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन तक.

(1)	(2)	(3)	(4)
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है.	मार्च 2021 और अप्रैल 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक.
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है.	जनवरी-मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक.".

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 20वें दिन से लागू माना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2021

क्र. एफ-ए-3-85-2017-1-पांच (24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-85-2017-1-पांच (24), दिनांक 10 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2021

No. F. A-3-85-2017-1-V-(24).—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F-A-3-85-2017-1-V(07), dated the 8th February, 2019, namely:—

In the said notification, after the seventh proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the period as specified in column (4) of the Table given below, for the tax period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in FORM GSTR-3B by the due date, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Period for which late fee waived (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year.	March, 2021 and April, 2021	Fifteen days from the due date of furnishing return.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Taxpayers having an aggregate turnmover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (l) of Section 39.	March, 2021 and April, 2021	Thirty days from the due date of furnishing return.
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (l) of Section 39.	January-March 2021	Thirty days from the due date of furnishing return.".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 20th day of April, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2021.